

फर्द अहकाम

- न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्ती, जयपुर

प्रतिवादीगण
रामबाबू व अन्य

बनाम

अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष
विवरण

दिनांक आज्ञा

का कार्यवाही

06/08/2021

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण के जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 26/08/2021 को पेश हो।


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बस्ती, जयपुर

265
10/8/21
नोटिस जारी

पत्रावली का कारण
कार्यवाही का जा सकी
पत्रावली दिनांक 18/10/21
को पेश किया

28/8/21

8/10/2021 पत्रावली आज प्रशासन गठियों के संगे अख्तियार 2021 के तहत केम्प बूडजल में पेश हुई। वादी क्लकचन्द एवं प्रतिवादी संख्या 2 और मंत्रकाश स्वयं उपस्थित। दिनकी पहचान सरपंच वाम पंचोमत बूडजल के द्वारा की गई। वाद पर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। न्यायालय पहचान के द्वारा वाद पत्र एवं वाद पर ओप्युद दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया। नौ सप्त पौठे के वाद वास्तु कर्म के संबंध में वादी सहकारीदार का इतफार है एक सहकारीदार इतरे सहकारीदार के ल्यायी बिदेधारा के पावना नदी करा सकता क्यो कि वादी सिना विभाजन कराए वाद पत्र पेश किया गया है तथा अख्तियार कर्म पर प्रथम सहकारीदार प्रथम कर्म पर कराया व


मु लखन
और मंत्रकाश

एक भाना जाता है अतः अग्नि अविभाजित होने से वादी को चर्ही गई रिजिफन दिया जाना उचित नहीं समझते हैं अतः वादग्रस्त अग्नि संसारा नं० 23 रकवा 7 विवा 11 विवा वक्ति ग्राम कलडवास परवार हलका वूडपल 17लील कस्सी जिला जयपुर संवंध में वादी को वाद चलने योग्य न होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली क्रमल श्रुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होने पर वाक्लि वफतार है।

मिर्गम आज दिनांक 8/10/2021 को सुबे आभालम एवं पञ्जासन गावों के संग अभिमान 2021 के तहत कैम्प वूडपल में सुनाया गया।


उप खण्ड अधिवक्ती
बस्ती (जिला-जयपुर)


(सरिता मीना) 8/10/21
सरपंच
ग्राम पंचायत वूडपल
पं.स. बस्ती, जयपुर